P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय महिलाओं के संदर्भ में

राजपाल मीणा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय बाबूशोभाराम कला महाविद्यालय,
अलवर,राजस्थान

सारांश

संविधान प्रदत्त अधिकार एवं उनके रक्षक की सशक्त भूमिका का निर्वाह करने वाली न्यायपालिका के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग जयपुर को वर्ष 2014–15 में विभिन्न प्रकृति की शिकायतें महिलाओं के विरूद्ध जनसुनवाई में जनहित याचिकाओं सें एवं डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमें दहेज – क्रूरता,दहेज – हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा की कुल 4566 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें से महिला आयोग ने 1605 (35.15 प्रतिशत) शिकायतों का निस्तारण कर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाया तथा शेष 2961 (64.85 प्रतिशत) प्रकरण/ शिकायतें प्रकियाधीन है।[1] इस प्रकार यह आकड़ें महिलाओं की स्थिति में हो रहे सुधार के लिऐ शुभ संकेत है।

मुख्य शब्द : सामाजिक न्याय,न्यायिक सक्रियता,जनहित याचिका

प्रस्तावना

भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबध में अद्वितीय है। भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना तथा सभी नागरिकों को न्याय–सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्राप्ति कराना है। सामाजिक न्याय की स्थापना का जो लक्ष्य स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान निर्धारित किया गया था उसे दृष्टिगत रखते हुयें संविधान सभा ने संविधान की रचना की। संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित भावी भारतीय समाज की परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए संविधान में आवश्यक उपबन्ध व प्रावधान किये।[2] परम्परागत शास्त्रीय नियमों, जो भेदभाव व अन्याय पर आधारित हो, को समाप्त कर दिया गया तथा उनके स्थान पर संविधान के रूप में सामाजिक न्याय पर आधारित एक नई संहिता को अंगीकार किया गया।[3] संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप समाज के अशिक्षित कमजोर, निर्धन तथा अन्याय व शोषण से पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए शासन द्वारा समयबद्ध व नियोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जाना भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही वर्गों में से एक वर्ग है महिला वर्ग, जिसके उत्थान हेतु संविधान में अनेक उपबंध किये गये है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनु. 21 (XXII), अनु. 23 साथ ही नीति निर्देशक तत्व अनु. 42 महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते है। यही नहीं संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्यों में भी यह समाहित करता है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं। यद्यपि अनु. 15 (3) अनु. 15 (1), और 15 (2) में दिये गये सामान्य नियम का अपवाद है। यह अनु. उपबन्धित करता है कि अनु.15 की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। अनु. 15 (3) आपवादिक वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। इस आपवादिक वर्ग में महिलाएं भी शामिल है। इसलिए कोई विधान जो इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए आवश्यक है, असंवैधानिक नहीं माना जायेगा। उदाहरण के लिए यह अधिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 जिसमें यह कहा गया है कि जारकर्म के अपराध के लिए पुरूष दण्डित किया जा सकता है किन्तु स्त्री को दुष्प्रेरक के रूप में दण्डित नहीं किया जा सकता, असंवैधानिक नहीं है। कारण यह है कि भारतीय समाज में स्त्री की विद्यमान स्थिति को देखते हुए स्त्रियों को संरक्षण देना आवश्यक है।[4]

स्त्रियों के प्रति इस वैधानिक सहानुभूति के आधार के बारे में अमेरिका के न्यायालय में 'मूलर बनाम अरेगन' के मामले मे कहा है कि अस्तित्व के संघर्ष

में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्री जन्य कार्य उन्हें दुखदः स्थिति में कर देते है। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे जाति शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार अनु. 42 के अन्तर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रधान किया जा सकता है और इससे सम्बन्धित कानून द्वारा अनु. 15(1) का अतिक्रमण नहीं होता। दत्रात्रेय बनाम स्टेट में कहा गया है कि राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है तथा अन्य ऐसी संस्थाओं में उनके स्थान भी आरक्षित कर सकता है। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक विधानों का निर्माण हुआ है जैसे–

विशेष विवाह अधिनियम 1954
हिन्दू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधि.1955
हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1956
दहेज निरोधक अधि. 1961

इसी प्रकार सप्रेशन ऑफ इम्मारल ट्रेफिक इन वूमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 भी महिलाओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही नहीं 1971 में गर्भपात को कानूनी मान्यता मिल जाने से भी स्त्री स्वातत्रंय को बढावा मिला है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी का उद्देश्य संविधान में वर्णित उन उपबंधो पर प्रकाश डालना है जिनके कारण स्त्री की स्थिति में सुधार हुआ है तथा उनमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार हुआ हैं ।

निष्कर्ष

भारत में महिला वर्ग को सामाजिक न्याय सुलभ कराने के लिए व्यापक उपाय किये गये हैं। ये सभी उपाय संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत हैं और उदारतापूर्ण हैं जहाँ संविधान महिलाओं की परम्परागत कमजोरियों को दूरकर इन्हें आरक्षण व सुविधाएँ देने के लिए विशेष उपलब्ध करता है। वही इन्हें शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था के अतिरिक्त उपयोगी विधानों के निर्माण का प्रावधान भी करता है। किन्तु व्यवहार में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार अपेक्षित है। वह संविधान द्वारा नहीं अपितु हमारी अपनी सोच व कृत्य द्वारा ही सम्भव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजस्थान राज्य महिला आयोग जयपुर, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2014–15, पृ.सं. 12
2. सिंह रामगोपाल : सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, तृतीय संस्करण 2010 पृ. सं. 37
3. पूर्वोक्त
4. आचार्य डॉ दुर्गा दास बसु : भारत का संविधान–एक परिचय, आँठवा संस्करण 2002, वाधवा एवं कम्पनी, नागपुर